

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

१८. अपेयोजना का स्कीम की अवस्थिति

(i) वन्य / संघरणक्षेत्र **उत्तरारबड़**

(ii) विल्ल वन प्रान्त **उप वन संरक्षक टैन्स वन प्रभाग, पुरोला, झरकाशी**

(iii) दूरी के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का ज्ञेय **०.३४४९ हेक्टर**

१९. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः **वन विभाग का स्वामित्व**

२०. अपटर्वेन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार **मिमित वन**

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व **०.१**

(iii) उपलिक्षित व्याख्याय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना **संलग्न**

(iv) दूरी के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा **संलग्न**

२१. भूमि के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलावृत्ति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणि **भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट अनुसार**

२२. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: **वन भूमि के अंतर्गत**

२३. वन जीव जी दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग पी जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा: **नागृनहीं**

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: **नागृनहीं**

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोशीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्ड की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्ड की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

(iv) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

२४. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे) **नहीं**

२५. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दे: **भूनहम भूमि की मांग की गई है**

(i) क्या चाग- 1 के पैरा 8 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **हाँ**

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

२६. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे:

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) **नहीं**

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, यह और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **लगू नहीं हैं।**

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) **नहीं**

२७. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे: **क्षतिपूरक बृक्षरोपण संलग्न है।**

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः **संलग्न है।**

(ii) अवस्थिति, सर्वक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संरेखा क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर दन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे हैं। **संलग्न है।**

(iii) क्षेत्रीय वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए और दबौकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का नक्काश और सामैय वन सीमाएं संलग्न हैं। **संलग्न हैं।**

(iv) सामैय की जले वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षेत्रीय वनरोपण स्कीम के और संलग्न हैं (हाँ/नहीं) **हाँ**

(v) क्षेत्रीय वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : **संलग्न हैं**

(vi) क्षेत्रीय क्षेत्रीय वनरोपण के दृष्टिकोणों से पहचान लिए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से जलान-दब लंगन हैं (हाँ/नहीं) **हाँ**

(vii) क्षेत्रीय वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान लिए गए क्षेत्र की सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल लिंग्गिम लिंग्गिम संलग्न हैं (हाँ/नहीं) **हाँ**

(viii) स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

(ix) क्षेत्रीय वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल लिंग्गिम लिंग्गिम लिंग्गिम संलग्न हैं (हाँ/नहीं) **हाँ**

(x) क्षेत्रीय वनरोपण के साथ प्रस्ताव की तारीख संलग्न की जाय।

(xi) क्षेत्रीय वनरोपण के साथ प्रस्ताव की तारीख संलग्न की जाय।

(xii) क्षेत्रीय वनरोपण के साथ प्रस्ताव की तारीख संलग्न की जाय।

मुरोला

तारीख: 4/7/2018 डिस्ट्रिक्ट

नाम

शासकीय मुद्रा

उप वन संरक्षक
टैक्स वन प्रमाण,
पुरोला (आदर्श पाठ्य मिश्र)